रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 463] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 1987/भाद्र 20, 1909
No. 463] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 1987/BHADRA 20, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 773(अ).— केन्द्रीय सरकार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (1986 का 1) की धारा 8 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करते हुए, श्री सी. पी. मिश्र, आई. ए. एस. (ए. एम. 66) को ऐसी तारीख से औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण अपील अधिकरण का सचिव नियुक्त करती है, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है।

[सं. 6-9/87 – आई. एफ. II (भाग फाईल)]

मनीश चन्द्र सत्यवादी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Banking Division)

New Delhi, the 8th September, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Sick Industrial Companies (Special Provisions) Act, 1985 (1 of 1986), the Central Government hereby appoints Shri C. P. Mishra, IAS (AM : 66) as Secretary to the Appellate Authority for Industrial and Financial Reconstruction from the date he assumes charge.

[F. No. 6-9|87-IF. II (Pt. File]

M. C. SATYAWADI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987